प्रेस विज्ञप्ति

06.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड और उसके निदेशक अमोल श्रीपाल शेठ सहित 6 अन्य आरोपियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। यह शिकायत बैंक ऑफ इंडिया से 47.88 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड की संलिप्तता की जांच का हिस्सा है।

ईडी ने सीबीआई, एससी-I, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इसके अलावा, जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने मेसर्स अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमोल श्रीपाल शेठ और 7 अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, अहमदाबाद, गुजरात के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि कंपनी मेसर्स अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड और उसके निदेशक अमोल श्रीपाल शेठ ने एक सुनियोजित साजिश के तहत बैंक की धनराशि को बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के अपनी सहयोगी कंपनियों में स्थानांतरित करके बैंक ऑफ इंडिया को 47.88 करोड़ रुपये का धोखा दिया है। फर्जी लेन-देन करके भारी मात्रा में धन सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित किया गया और समूह कंपनियों के कारोबार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। बैंकों से भारी मात्रा में ऋण इस गतल इरादे से लिए गए कि बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, और बोगस और फर्जी लेन-देन के आधार पर ऋण राशि का गबन किया गया। पीएमएलए जांच के दौरान, अनिल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अमोल श्रीपाल शेठ और कई अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया और बैंकों के पास गिरवी ना रखी गई संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए।

इसके अलावा, इस मामले में 5.39 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त करने का अंतरिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया है और आगे की जांच जारी है।